

**GS WORLD**

हाल ही में सरकार द्वारा राष्ट्रीय ई-कॉमर्स नीति का मसौदा पेश किया गया है। जिसमें ई-कॉमर्स सेक्टर के लिए एक रेग्युलेटर बनाने का प्रस्ताव है जो इससे जुड़ी कंपनियों के कारोबार पर नजर रखेगा।

मसौदे में भारतीय ऑनलाइन कंपनियों को बढ़ावा देने की बात कही गई है।

ब्रांडेड मोबाइल फोन, वाइट गुड्स और फैशन आइटम्स की थोक खरीदारी पर रोक लगाने का सुझाव दिया गया है।

**GS WORLD**

ई-कॉमर्स कंपनियों द्वारा बड़ी खरीद के बल पर इन सामानों की कीमत कम रख ले जाने का नुकसान खुदरा डीलर्स को उठाना पड़ता है।

भारतीय और भारतीयों के नियंत्रण वाले ऑनलाइन मार्केटप्लेस को इन्वेंट्री रखने की इजाजत देने की बात कही गई है, बशर्ते वे सामान भारत में ही खरीदे गए हों।

**नोट:-**  
इस मसौदे के मुताबिक विदेशी नियंत्रण वाली कंपनियों को यह छूट नहीं मिलेगी।

किसी सामान के बारे में बढ़ा-चढ़ाकर दावे करना या झूठे ग्राहकों के जरिए समीक्षा लिखवाना अनुचित वाणिज्यिक गतिविधि के दायरे में आएगा।

कोई सामान जाली निकलता है या उसकी क्वालिटी ठीक नहीं होती तो इसकी जवाबदेही ई-कॉमर्स कंपनी और विक्रेता, दोनों की होगी।

**GS WORLD**

**एक नजर में...**

**चर्चा में क्यों?**

**नीति की आवश्यकता क्यों?**

**राष्ट्रीय ई-कॉमर्स नीति**

**ई-कॉमर्स के उदाहरण**

**महत्वपूर्ण बिंदु**

**GS WORLD**

ई-कॉमर्स कंपनियों के खिलाफ 2017-18 के पहले आठ महीनों में उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक उपभोक्ता मामले मंत्रालय की हेल्पलाइन में 50,000 ई-कॉमर्स शिकायतें की गई थीं।

पिछले साल की समान अवधि में 54,872 शिकायतें मिली थीं। ऐसे में उन्हें कंपनियों की मनमर्जी पर नहीं छोड़ा जा सकता।

**GS WORLD**

ऑनलाइन खरीदारी

इलेक्ट्रॉनिक भुगतान

ऑनलाइन नीलामी

इंटरनेट बैंकिंग

ऑनलाइन टिकट

भारत में ई-कॉमर्स का कारोबार सालाना 51 फीसदी की दर से बढ़ रहा है।

फ्लिपकार्ट जैसी खुदरा ऑनलाइन बिक्री कंपनियों को अपने उपयोगकर्ताओं के आंकड़े भारत में ही रखने पड़ेंगे और राष्ट्रीय सुरक्षा को देखते हुए इन आंकड़ों तक सरकार की पहुंच होगी।

सामान लौटाने की पॉलिसी भी कंपनी को अपनी वेबसाइट पर प्रदर्शित करनी होगी।

**GS WORLD**

अभी तक कंपनियां यह कहकर निकल लेती थीं कि वे सिर्फ प्लैटफॉर्म मुहैया कराती हैं, सामान की गुणवत्ता को लेकर उनकी जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन आगे वे इतने सस्ते में नहीं छूट पाएंगी।

टूटा हुआ सामान, गलत, नकली या जैसा विवरण वेबसाइट पर दिया था, वैसा सामान न होने पर उपभोक्ता के पास उसे वापस करने का अधिकार होगा और कंपनी को 14 दिन में रिफंड देना होगा।